

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 92 तिथि- 09.02.2021 के संदर्भ में

मेसर्स माँ भवानी बिल्डकों प्रा० लि०, डाइरेक्टर-श्री शैलेश कुमार, पिता-श्री ओम प्रकाश सिन्हा, जमीन मालिक-डॉ० प्रभात कुमार, पिता-स्व० राम चन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य, पता- फेन्डस कॉलोनी, आशियाना नगर, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यावसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 9.2. प्लॉट नं०- 623, खाता नं०- 268, तौजी नं०-5855, थाना नं०- 17, मौजा- सिकन्दरपुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-.../21-22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2381.08 वर्ग मीटर एवं G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 601.05 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 38.83 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

SK

Managing Director

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

80/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 1...7...../दिनांक:- ..18/04/2021

प्रतिलिपि:- मेसर्स मॉ भवानी बिल्डकॉन प्रा० लि०, डाइरेक्टर-श्री शैलेश कुमार, पिता-श्री ओम प्रकाश सिन्हा, जमीन मालिक-डॉ० प्रभात कुमार, पिता-स्व० राम चन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य, पता- फेन्डस कॉलोनी, आशियाना नगर, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

810

Managing Director

नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

ज्ञापांक 1048 / दिनांक 16/4/21

प्रेषित,

मेसर्स मों भवानी बिल्डकॉन प्रा० लि०,
डाइरेक्टर-श्री शैलेश कुमार, पिता-श्री ओम प्रकाश सिन्हा,
जमीन मालिक-डॉ० प्रभात कुमार,
पिता-स्व० राम चन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य,
पता- फेन्डस कॉलोनी, आशियाना नगर,
थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना।

विषय- Affordable Housing and SLUM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के तहत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने / ई०डब्ल्यूएस० के लिए प्लान जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा भवन निर्माण / बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु आवेदन सं०-92/20-21 द्वारा किया गया था। जिसका खाता नं०-268, प्लॉट नं०-623, तौजी नं०-, थाना नं०-17, मौजा -सिकन्दरपुर है।

Affordable Housing and SULM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के अनुसार 4000 वर्ग मी० भूमि क्षेत्र से कम एवं ज्यादा के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है :-

क्र० सं०	प्रस्तावित नक्शा का भूमि क्षेत्र	प्रावधान
1	8 प्लैट ज्यादा एवं 500 वर्ग मी० से ज्यादा एवं 4000 वर्ग मी० भूमि क्षेत्र से कम (दोनों में से कोई एक अनिवार्य रूप से) तथा व्यवसायिक भवन	15 प्रतिशत ई०डब्ल्यूएस०/एल०आई०जी० का प्रावधान रु० 750/- वर्ग मी० की दर से शेल्टर फण्ड जमा करना। (कुल विल्टप एरिया का 10 प्रतिशत (वर्ग मी० में))
2	4000 वर्ग मी० भूमि क्षेत्र से ज्यादा	15 प्रतिशत अनिवार्य रूप से ई०डब्ल्यूएस०/एल०आई०जी० का प्रावधान

अतः आपके द्वारा प्रस्तावित नक्शा जिसका कुल विल्टप एरिया 2381.08 वर्ग मी० है। उपर्युक्त विवरण में अंकित प्रावधानों के शेल्टर फण्ड की राशि / ई०डब्ल्यूएस० / एल०आई०जी० निर्माण प्लान अनिवार्य रूप से जो लागू हो जमा करें ताकि नक्शा स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।

Shelter Fund

Total B/U Area - 2381.08 m²

10% of Total B/U Area - 238.108 m²

238.108 m² - @ 750/- = 178581.00

Total Shelter Fund Ammount - 1,78,581.00

कनीय अभियंता
न० प० दा० नि०

नगर कार्यपालक/प्रदाधिकारी
नगर परिषद् दानापुर निजामत

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

(88)

Managing Director